

केन्द्रीय सूचना आयोग  
बाबा गंगनाथ मार्ग,  
मुनिरका, नई दिल्ली - 110067.

संचिका सं. CICOM/R/2018/80082

दिनांक 25.10.2018

सेवा में,

सुश्री रश्मी मगाई,

विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना ।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपके दिनांक 22.10.2018 का ऑनलाइन आर.टी.आई. आवेदन जिसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय सूचना आयोग को अग्रसारित किया गया है, से संबंधित बिंदुवार सूचना निम्नलिखित है:-

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| बिंदु सं. 1 एवं 2 | <p>आपने केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा धारित कोई सूचना नहीं मांगी है, बल्कि सामान्य प्रश्न पूछे हैं जिसका सूचना अधिकार अधिनियम के तहत उत्तर देने में जन सूचना अधिकारी असमर्थ हैं ।</p> <p>साथ ही यह भी उल्लेख किया जाता है कि सूचना अधिकार अधिनियम केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के अधीन कार्यरत सभी लोक प्राधिकरणों पर सामान्य रूप से लागू है । लोक प्राधिकरण की व्याख्या सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 जो कि वेबसाइट के लिंक <a href="https://cic.gov.in/sites/default/files/rti-actinhindi.pdf">https://cic.gov.in/sites/default/files/rti-actinhindi.pdf</a> पर उपलब्ध है की धारा 2 में किया गया है ।</p> |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो इस सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपील श्री आर. के. सिंह, अपर सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 दूरभाष नं. 011-26162290 पर की जा सकती है ।

तथा जसुराज  
(टी. बी. जे. एस. राजप्पा)

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,  
आर.टी.आई.सेल

दूरभाष - 011-26172690